भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1311
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सकों की कमी

1311. श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी है और विशेषकर स्त्री रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता नगण्य है;
(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): जून, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अंतर्गत 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता को 80% मानते हुए देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 1:1000 के मानक से बेहतर है।

देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञों सहित डॉक्टरों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफ़ॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है: https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/RHS%202021-22_2.pdf .

स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र संसाधन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के तहत, डॉक्टरों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के दिशा-निर्देश दिए गए हैं:

- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र वाले भत्ते दिए जाएं ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवा करने के लिए आकृष्ट हों।

- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट/लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव पूर्व (एएनसी) जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

- राज्यों को विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए नेगोशिएबल वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी रणनीतियों में लचीलापन शामिल है।

- एनएचएम के अंतर्गत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार करना भी शुरू किया गया है।

- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

*****